न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पिठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर०ए०एस०

वाद सं0 111/17
निर्णय दिनांकः–10.02.2018

1. रामगोपाल सैनी पुत्र तुलसीराम जाति माली नि0 श्रीरामनगर वार्ड नं0 11 लोको गेट के पास, फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादी

बनाम

1. दीपचन्द पुत्र स्व0 सूरजमल
2. मांगीलाल पुत्र स्व0 सूरजमल
   समस्त जाति माली नि0 श्रीरामनगर फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
3. जमना पुत्री स्व0 श्री सूरजमल पत्नि बोदूराम जाति माली नि0 परबतसर जिला नागौर राज0
4. लुणकरण पुत्र तुलसीराम जाति माली नि0 फुलेरा जिला जयपुर
5. इन्द्रा पुत्र तुलसीराम पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति माली नि0 जवाहरनगर अजमेर जिला अजमेर राज0
6. गिरजा पुत्री तुलसीराम जाति माली नि0 एच एम टी अजमेर जिला अजमेर राज0
7. दुलीचन्द पुत्र हुक्मचन्द
8. हरिनारायण पुत्र हुक्मचन्द
9. रामस्वरूप पुत्र हुक्मचन्द
10. गजानन्द पुत्र हुक्मचन्द
    समस्त जाति माली नि0 फुलेरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
11. इमरतीदेवी पुत्री हुक्मचन्द पत्नि देवीलाल जाति माली नि0 गंगापुर जिला भीलवाड़ा राज0
12. बसंती पुत्री हुक्मचन्द पत्नि श्योराज जाति माली नि0 धोला भाटा अजमेर जिला अजमेर राज0
13. ग्यारसी पत्नि पुरणमल जाति माली नि0 बांदीकुई जिला दौसा राज0
14. सुरेश
15. रमेश
16. दिनेश
    समस्त पुत्रान स्व0 पुरणमल जाति माली नि0 फुलेरा हाल नि0 बांदीकुई जिला दौसा राज0
17. मुन्नीदेवी पुत्री पुरणमल पत्नि मन्नाराम जाति माली नि0 जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

18. सुगनीदेवी पुत्री पुरणमल पत्नि शिवशंकर जाति माली नि0 भोपा का बाड़ा अजमेर जिला अजमेर राज0
19. शशिदेवी पत्नि नारायण
20. मनीष पुत्र नारायण
21. नीलम पुत्र नारायण
    समस्त जाति माली नि0 फुलेरा हाल नि0 बांदीकुई जिला दौसा राज0
22. भाग्यश्री पुत्री नारायण पत्नि रवि जाति माली नि0 रामगढ़ मोड़, जयपुर जिला जयपुर
23. गीताजंली पुत्री नारायण पत्नि विकास जाति माली नि0 डीसा गुजरात
24. गुलाब
25. छोटू
26. पुष्पा
27. सुशीला
    समस्त पुत्रान नर्बदादेवी पत्नि गोविन्दराम जाति माली नि0 परबतसर जिला नागौर
28. तहसीलदार फुलेरा तह0 फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगा0 27 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं वादी व प्रतिवादीगण की एक काश्त की आराजीयात नया खाता सं0 122 पुराना खाता सं0 112 खं0नं0 313, 314 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो विवादित है। उक्त विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व0 सुवा पुत्र काना के नाम से दर्ज है ओर पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 में भी उक्त विवादित आराजीयात सुवा पुत्र काना कौम माली सा0 ढाणी कारीगरान के नाम से दर्ज है ओर आज भी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज है। सुवा उनका घरेलू बोलता नाम था ओर वास्तविक नाम सुरजमल था लेकिन सन् 2011 में पर्चा सेटलमेन्ट आने ओर पहले गांवाई एवं अनपढ़ व्यक्ति होने से ध्यान भी नहीं दिया जाता था। स्व0 सुवा का देहान्त दिनांक 17.06.63 में हो चुका है वादी व प्रतिवादीगण उनकी संताने है ओर जब कि स्व0 श्री सुवा जीवित थे तब वह काश्त करते थे ओर उनके बाद उनके वारिसान करते आ रहे है। स्व0 सुवा जी का देहान्त होने के समय वारिसान काश्त करते रहे ओर नामान्तकरण की जानकारी नही होने से वह नामान्तकरण नहीं खुला

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

सकें ओर न ही पक्षकारान राजस्व रिकोर्ड को देखा था। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त नामान्तकरण की कार्यवाही करने के लिए जब गये तो वादी व प्रतिवादीगण को पता चला की उनके पिता स्व0 सुरजमल पुत्र काना का राजस्व रिकोर्ड में नाम सुवा पुत्र काना कौम माली इन्द्राज है ओर स्व0 सुरजगल का वास्तविक नाम सुरजमल पुत्र काना जाति माली था ओर राजस्व रिकोर्ड में उनका नाम गलत इन्द्राज था इस प्रकार उक्त नामान्तकरण में नहीं खुल सका। वादी व प्रतिवादीगण ने कई बार राजस्व अधिकारियों को लिख कर दिया लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला ओर आज दिनांक तक उक्त विवादित आराजीयात स्व0 सुवा पुत्र काना कौम माली के नाम से ही राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद है इसलिए दावा दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से वकील श्री दिव्यराज गुर्जर ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया तथा प्रतिवादी सं0 2 लगा0 27 की ओर से वकील श्री शान्तनू नांगू ने वकालतनामा व जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 28 की ओर से जवाब दावा पेश किया।

तनकीयात कायम की गयी जो निम्न प्रकार है।

1. आया सुवा उर्फ सुरजमल पुत्र काना जाति माली एक ही व्यक्ति है।
   वादी
2. आया वादीगण व प्रतिवादीगण के अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है।
   वादी
3. आया काना जाति माली निवासी फुलेरा जो वादीगण का परदादा रिश्ते में है उसकी संतान कौन कौन थी तथा सुवा नाम से कोई संतान नहीं थी।
   वादी
4. अनुतोष

रामगोपाल पुत्र तुलसीराम, आशाराम पुत्र गंगाराम के शपथ पत्र पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रमाणित जमाबन्दी ग्राम बाघपुरा ख0नं0 313, 314, प्रमाणित पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2011 ख0नं0 313, 314, फोटो प्रति नामान्तकरण प्रा0पत्र दिनांक 19.03.13, फोटो प्रति पट्टा नगरपालिका फुलेरा दिनांक 03.10.57, फोटो प्रति पट्टा नगरपालिका फुलेरा दिनांक 03.10.56, सूरजमल का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.06.63 की पेश की है।

वकील पक्षकारान ने राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प कोर्ट सांभर में प्रा0पत्र पेश कर पत्रावली को तलब करवायी गयी तथा वकील पक्षकारान की बहस सुनी

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

गयी तथा वकील पक्षकारान ने उक्त वाद को लोक अदालत की भावना से वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस पर पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है आराजीयात नया खाता सं0 122 पुराना खाता सं0 112 खं0नं0 313, 314 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में सुवा पुत्र काना कौम माली के स्थान पर सुवा उर्फ सुरजमल पुत्र काना कौम माली दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तह0 फुलेरा को आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश आज दिनांक 10.02.18 को खुले राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय हाजा टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

रामगोपाल बनाम दीपचंद वगै0

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 111/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मुकेश अहलूवालिया व हाजरी श्री शान्तनू नागू मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर दुरूस्ती इन्द्राज व घोषणा इस आशय की फरमायी जाती है आराजीयात नया खाता सं0 122 पुराना खाता सं0 112 खं0नं0 313, 314 किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 12 विस्वा वाकै ग्राम बाघपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में सुवा पुत्र काना कौम माली के स्थान पर सुवा उर्फ सुरजमल पुत्र काना कौम माली दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। ....निज .... मुबलिग................................ ..... बाबत्.................................. खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.................................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10माह 02 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर

ओहदा

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी

साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner